भारत में उच्च न्यायालय (High Courts in India)

	नाम	स्थापना का वर्ष	केन्द्र	प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र
1.	इलाहाबाद	1866	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
2.	आन्ध्र प्रदेश	1954	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
3.	बाम्बे	1861	मुम्बई	महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव, दादर व नागर हवेली
4.	कलकत्ता	1861	कोलकाता	पश्चिमी बंगाल, अंडमन व निकोबार द्वीप समूह
5.	देहली	1966	नई दिल्ली	देहली
6.	गुवाहाटी	1948	गुवाहाटी	असोम, मनीपुर, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश
7.	गुजरात	1960	अहमदाबाद	गुजरात
8.	हिमाचल प्रदेश	1971	शिमला	हिमाचल प्रदेश
9.	जम्मू-कश्मीर	1928	श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर
10.	केरल	1956	इर्नाकुलुम	केरल व लक्षद्वीप
11.	मध्य प्रदेश	1956	जबलपुर	मध्य प्रदेश
12.	मद्रास	1891	चेन्नई	तमिलनाडु, पुडुचेरी
13.	मैसूर	1884	बंगलौर	कर्नाटक
14.	उड़ीसा	1948	कटक	उड़ीसा
15.	पटना	1916	पटना	बिहार
16.	पंजाब व हरियाणा	1947	चंडीगढ़	पंजाब व हरियाणा, चण्डीगढ़
17.	राजस्थान	1949	जोधपुर	राजस्थान
18.	सिक्किम	1975	गंगटोक	सिक्किम
19.	झारखण्ड	2000	रांची	झारखण्ड
20.	छत्तीसगढ़	2000	बिलासपुर	छत्तीसगढ़
21.	उत्तराखण्ड	2000	नैनीताल	उत्तराखण्ड
22.	मेघालय	2014	शिलांग	मेघालय
23.	मिजोरम	2014	ऐज़ावल	मिज़ोरम
24.	त्रिपुरा	2014	अगरतला	त्रिपुरा
25.	आन्ध्र प्रदेश*	2019	अमरावती	आन्ध्र प्रदेश

पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। इसे अपनी अवमानना करने वाले को दण्ड देने का अधिकार है। द्वितीय, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इस हेतु उसे संसद या राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की जाँच करने का अधिकार है। अतः वह संविधान के किसी प्रावधान के उल्लंघन करने पर केन्द्रीय या राज्यों या किसी अन्य अधीन निकाय के कानून या आदेश को पूर्णतया या आंशिक रूप में रद्द कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा तथा उत्प्रेषण के विशेष लेख जारी कर सकता है। इसे न्यायालय का रिट (Writ) संबंधी क्षेत्राधिकार कहा जाता है। **इसीलिए, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अभिरक्षक और उसकी व्याख्या करने का सर्वोच्च मंच कहा जाता है।**

उच्च न्यायालय (High Courts)

गठन (Composition)—संविधान में प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। 1956

* **नोट**—सन् 2019 से पूर्व आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद थी जो उच्च न्यायालय स्थित था किन्तु तेलंगाना के पृथक राज्य राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद अब आन्ध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है जो देश के 25वें उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है।

Scanned with CamScanner

कुछ महत्त्वपूर्ण वक्तव्य (Some Important Statements)

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता (Independence of Judiciary)

- जहाँ कानून का अन्त होता है, अत्याचार तन्त्र शुरू हो जाता है। —**जॉन लाक** (John Locke)
- कानून के उत्पीड़न से बदतर कोई अन्य उत्पीड़न नहीं हो सकता।—**सर फ्रांसिस बेकन** (Sir Francis Bacon)
- शासन के सभी कार्यों में, विवादों का न्यायिक निपटान निस्सन्देह सबसे महत्त्वपूर्ण काम है जिससे नागरिक का तुरन्त सरोकार है। —**जे. ए. आर. मैरियट** (J. A. R. Marriott)

के सातवें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, संसद किन्हीं दो या दो से अधिक राज्यों या केन्द्र-शासित क्षेत्रों के लिए सांझे उच्च न्यायालय (Common High Court) की विधि-सम्मत स्थापना कर सकती है। यह भी प्रावधान है कि जिन राज्यों में संविधान लागू होने से पूर्व उच्च न्यायालय थे, वे नये राज्यों में भी बने रहेंगे। संसद अपने कानून द्वारा किसी उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को केन्द्र-शासित क्षेत्र तक बढ़ा या कम कर सकती है। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार अन्य न्यायाधीश होते हैं। यह भी प्रावधान है कि अस्थायी कार्यभार बढ़ जाने या पुराने मुकदमों की अधिकता के कारण राष्ट्रपति योग्य व्यक्तियों को अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकता है। यह नियुक्ति दो वर्षों के लिए होगी। ऐसे न्यायाधीश भी मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायधीशों की भाँति 62 वर्ष की आयु पूरी करने पर अवकाश ग्रहण करेंगे। स्थायी न्यायाधीशों की अनुपस्थिति या अन्य कारणों से पद-रिक्तता पर राष्ट्रपति अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है।

राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर व मुद्रिका वाले आदेश से भारत के मुख्य न्यायाधीश, सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में निम्न योग्यताएँ होनी चाहिए–

1. वह भारत का नागरिक हो,
2. उसे भारत में किसी न्यायिक पद पर कम से कम दस वर्षों का अनुभव हो या वह कम से कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में एडवोकेट रह चुका हो। यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी उच्च न्यायालय में कार्यरत वकील के कार्यकाल की गणना करनी हो तो उसमें उसके द्वारा किया गया न्यायिक पद या कानून की विशिष्ट जानकारी वाले पद का अनुभव भी सम्मिलित किया जायेगा।

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की अवस्था पूरी करने पर अवकाश ग्रहण करता है। वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भेज सकता है। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त कर देता है या किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर देता है तो उसका स्थान खाली समझा जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का समान प्रावधान है। अस्तु, यदि किसी न्यायाधीश पर 'दुराचरण' या 'अक्षमता' का आरोप लगाया जाये तो एक कमेटी उसकी जाँच करेगी। यदि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत (समूचे सदन का आधे से अधिक तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत) से ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाये तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटा देगा। यदि किसी न्यायाधीश की योग्यताओं के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो यह मामला राष्ट्रपति सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्शानुसार तय करेगा। किसी मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण करने में उसकी सहमति की अनिवार्यता नहीं है। यह राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियों पर निर्भर है।

क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)—उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी सामर्थ्य वही है जो संविधान लागू होने से पूर्व था। परिणामस्वरूप, जबकि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों के पास मौलिक व अपील-सम्बन्धी दोनों क्षेत्राधिकार हैं (दीवानी मामलों में 2,000 रुपये से अधिक के मूल्य तथा फौजदारी मामलों में प्रेसीडेन्सी न्यायाधीश द्वारा भेजे गये मामले व अन्य राजस्व सम्बन्धी विषय), बाकी सभी उच्च न्यायालयों को नौ-सेना, वसीयत, तलाक, विवाह, कम्पनी कानून व न्यायालय की अवमानना के सम्बंन्ध में सीमित मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

सभी उच्च न्यायालयों को दीवानी व फौजदारी के मामलों में अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय की भाँति, उच्च न्यायालयों को भी न केवल मौलिक अधिकारों

Scanned with CamScanner

कुछ महत्त्वपूर्ण वक्तव्य (Some Important Statements)

विलोवी के अनुसार न्यायपालिका की स्वतन्त्रता हेतु आवश्यक शर्तें (Willoughby on Essential Conditions for Independence of Judiciary)

1. राजनीतिक सम्बन्धों को एक तरफ रखकर, निष्पक्ष तरीके से जजों का चयन किया जाये।
2. नियुक्त होने के बाद जज़ का लम्बा कार्यकाल हो।
3. दुर्व्यवहार या किसी गम्भीर आरोप के सिद्ध होने पर जज को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाये।
4. जज के कार्यकाल में उसके वेतन या भत्ते में कटौती न की जाये या उसका भुगतान रोका न जाये।

के संरक्षण वरन् **अन्य किसी प्रयोजन हेतु** पाँच प्रकार के विशेष लेख जारी करने का अधिकार है अर्थात् उच्च न्यायालयों को बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा तथा उत्प्रेषण सम्बन्धी विशेष लेख जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय संसद व राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी विवादों का भी निपटान करता है। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय की भाँति, उच्च न्यायालय अभिलेख का न्यायालय है। उसे अवमानना करने वाले व्यक्ति को सजा देने का अधिकार है।

उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों से विवरण मँगाने, सामान्य नियम जारी करने, उनकी कार्य प्रक्रिया को नियमित करने के लिये प्रपत्र जारी करने, लेखाओं का प्रारूप व प्रपत्र निर्धारित करने तथा लिपिकों, न्यायाधिकारियों व वकीलों को दी जाने वाली फीस निर्धारित करने का अधिकार है। उसे अपने क्षेत्र के सैनिक न्यायालयों के अलावा सभी निम्न न्यायालयों को निरीक्षित व नियन्त्रित करने का भी अधिकार है। यदि उच्च न्यायालय सन्तुष्ट हो जाये कि किसी अधीनस्थ न्यायालय में पेश मुकदमे में संवैधानिक कानून का बिन्दु निहित है तो वह ऐसे मुकदमे को अपने पास मँगाकर स्वयं निर्णित कर सकता है या उसमें निहित संवैधानिक कानून के प्रश्न को सुलझाकर उसी न्यायालय को वापस भेज सकता है। अन्त में, उच्च न्यायालय अपने प्रशासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करता है तथा उनकी सेवा सम्बन्धी शर्तों व विशेष अधिकारों को निर्धारित करने वाले नियम भी बनाते हैं जो राज्य के राज्यपाल या केन्द्र-शासित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होने चाहिए।

उच्च न्यायालयों के गठन व न्यायिक सामर्थ्य के समालोचनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वह केवल ऊपरी तौर से राज्यों की सरकारों के अंग हैं। वास्तव में, उच्च न्यायालय केन्द्रीय न्यायपालिका के उपांग हैं क्योंकि राष्ट्रपति उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, वही उन्हें अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानान्तरित कर सकता है, वही उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त कर पदोन्नति दे सकता है, वही भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से न्यायाधीशों की अवकाश आयु सम्बन्धी विवादों को निपटाता है और वही संसद द्वारा विशेष सम्बोधन होने पर किसी न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। संसद राज्यों में उच्च न्यायालय या उनकी शाखा खोलने या उसके क्षेत्राधिकार में विस्तार करने के बारे में कानून बना सकती है या किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित हैं किन्तु केन्द्रीय सरकार वित्तीय संकटकाल में उनकी कटौती कर सकती है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और वह उन्हें पलट भी सकता है। उच्च न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के नियमों, नजीरों व व्यवस्थाओं का पालन करना अनिवार्य है। इसलिए यह कहा जाता है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता तथा उसकी आवश्यकता (Independence of Judiciary and Its Necessity)

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता प्रजातान्त्रिक व्यवस्था का आधार-स्तम्भ है। इसमें तीन आवश्यक शर्तें निहित हैं। प्रथम, न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों के हस्तक्षेप से उन्मुक्त होना चाहिए। द्वितीय, न्यायपालिका के निर्णय व आदेश कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के दबाव से मुक्त होने चाहिये। तृतीय, न्यायाधीशों को भय या पक्षपात के बिना न्याय करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। संक्षेप में, **न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का यह तात्पर्य है कि न्यायाधीश अपने समक्ष प्रस्तुत होने वाले मामलों में भौतिक प्रलोभन व किसी प्रकार के भय के बिना अपने निर्धारित क्षेत्र में न्याय करने में स्वतन्त्र हों।** लोकतान्त्रिक शासन में यह अपेक्षा की जाती है कि न्यायाधीश देश की दलगत राजनीति से विलग रहे।

Scanned with CamScanner